मु0सं0–33 / 2017
उनवान–जयसिंह बनाम हणमानसिंह
निर्णय दिनांक– 21.01.2019

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फा0ट्रे0) चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री विष्णु कुमार गोयल–I (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–33/2017

उनवान

जयसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम नांगलभरडा, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. हणमान सिंह पुत्र गुमानसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नांगलभरडा, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक महादेय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 रा0 का0 अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :– 21.01.2019

पत्रावली पेश हुई। वकिल फरिकेन उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18.06.2018 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री का पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त होने पर, कुर्रेजात प्रस्ताव पर उभय पक्षों को सुना गया, उपस्थित अधिवक्तागण ने कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 20.08.2018 पर अपनी सहमति जताई व उक्त कुर्रेजात प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी करने की इस्तदुआ की। प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व उभयपक्षों की बहस पर बगौर मनन किया गया। न्यायालय अभिमत में हम सभी पक्षकारों की सहमति को मध्यनजर रखते हुये वादी के वाद को अन्तिम डिक्री करना उचित समझते है। अतः वादी का वाद उभयपक्षों की सहमति पर मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव वाके ग्राम नांगलभरडा, पटवार हल्का नांगलभरडा, भू.अभि.नि.क्षेत्र नांगलभरडा, तहसील चौमूं जिला जयपुर के हाल खाता संख्या 609 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2227 रकबा 2.76 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 2.76 हैक्टेयर भूमि का निम्नानुसार विभाजन किया जाता है–

1. जयसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 2227/2 रकबा 1.365 हैक्टेयर किस्म बारानी कुल किता 1 का कुल रकबा 1.365 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। लगान 6.83।
2. हणमान सिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत, सा0 देह राहिन आर.एम.जी.बी. शाखा चौमूं मूर्तहिन खातेदार को खसरा नम्बर 2227/3 रकबा 1.365 हैक्टेयर किस्म बारानी कुल किता 1 का कुल रकबा 1.365 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। लगान 6.82।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मु0सं0–33/2017
उनवान–जयसिंह बनाम हणमानसिंह
निर्णय दिनांकः– 21.01.2019

3. जयसिंह पुत्र गुगानसिंह हिस्सा 1/2, बिला रहन हणमानसिंह पुत्र गुमान सिंह, हिस्सा 1/2 जाति राजपूत, सा. देह राहिन आर.एम.जी.बी. शाखा नांगल भरडा मूर्तहिन खातेदार को खसरा नम्बर 2227/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म बारानी कुल किता 1 का कुल रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। लगान 0.15। अन्तिम डिकी जारी हो। नजरी नक्शा डिकी का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 21-01-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फा0ट्रे0)चौमूं

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मु0सं0–33/2017
उनवान–जयसिंह बनाम हणमानसिंह
निर्णय दिनांकः– 21.01.2019

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फा0ट्रे0),चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री विष्णु कुमार गोयल–I(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–33/2017

उनवान

जयसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम नांगलभरडा, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. हणमान सिंह पुत्र गुमानसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नांगलभरडा, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक महादेय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–21.01.2019

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वादी मिनजामिन व प्रतिवादी मुददई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि –

विवादित भूमि हाल खाता संख्या 609 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2227 रकबा 2.76 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 2.76 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नांगलभरडा, पटवार हल्का नांगलभरडा, भू.अभि.नि.क्षेत्र नांगलभरडा, तहसील चौमूं जिला जयपुर का मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 20.08.2018 निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैः–

1. जयसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 2227/2 रकबा 1.365 हैक्टेयर किस्म बारानी कुल किता 1 का कुल रकबा 1.365 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। लगान 6.83।
2. हणमान सिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत, सा0 देह राहिन आर.एम.जी.बी. शाखा चौमूं मूर्तहिन खातेदार को खसरा नम्बर 2227/3 रकबा 1.365 हैक्टेयर किस्म बारानी कुल किता 1 का कुल रकबा 1.365 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। लगान 6.82।
3. जयसिंह पुत्र गुमानसिंह हिस्सा 1/2, बिला रहन हणमानसिंह पुत्र गुमान सिंह, हिस्सा 1/2 जाति राजपूत, सा. देह राहिन आर.एम.जी.बी. शाखा नांगल भरडा मूर्तहिन

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मुक0 33/2017
प्रकरण-जयसिंह बनाम हनुमानसिंह
निर्णय दिनांक- 21.01.2019

खातेदार को खसरा नम्बर 2227/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म बारानी कुल किता 1 का कुल रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। लगान 0.16।

निजी ...×... मबलिक ...×... बाबत ...×... खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ...×... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाब तक ×... को अदा करें।

बरास्त मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 21-01-2019 को जारी किया गया

मोहर

दस्तखत सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
ओहदा चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	01
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय हुक्मनामा	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	1

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner